

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/18

जयपुर, दिनांक : 22-01-2019

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	22/2004	श्री दीप सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा जयपुर	31.05.2025	एच-533, गांधीनगर
2.	23/2004	श्रीमती रामप्यारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग जिला खण्ड प्रथम जयपुर	30.04.2030	एच-534, गांधीनगर
3.	24/2004	श्री भागीरथ, हैल्पर II सवाई मान सिंह अस्पताल जयपुर	31.03.2029	एच-549, गांधीनगर
4.	27/2004	श्री शेर सिंह रावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधीक जयपुर शहर जयपुर	30.09.2035	एच-562, गांधीनगर
5.	28/2004	श्रीमती अन्जू गहलोट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिशाषी आयोग तकनीकी सहायक द्वितीय जन. सहायक अभियंता विभाग जयपुर	31.07.2035	एच-563, गांधीनगर
6.	29/2004	श्री प्रदीप मिश्रा, सहायक कर्मचारी सहकारी विभाग सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर	30.04.2040	एच-568, गांधीनगर
7.	29A/2004	श्री कृष्ण प्रसाद आचार्य, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर	31.10.2037	एच-575, गांधीनगर
8.	31/2004	श्री बलवीर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर	31.07.2039	एच-579, गांधीनगर
9.	2/2005	श्री कानाराम प्रजापत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहकारिता विभाग, जयपुर	28.02.2039	एच-586, गांधीनगर
10.	3/2005	श्रीमती मछला देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अति.महानिदेशक पुलिस राज. जयपुर	31.07.2030	एच-656, गांधीनगर
11.	5/2005	श्री बाबूलाल बुनकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पीएचईडी, राज. जयपुर	31.01.2035	एच-659, गांधीनगर
12.	6/2005	श्री सीताराम पुजारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीई, पीएचईडी राज. जयपुर	31.07.2038	एच-669, गांधीनगर
13.	8/2005	श्री मामराज अग्रवाल सहायक कर्मचारी कार्यालय आईएन पीएचईडी विद्याधर नगर, जयपुर	31.08.2025	एच-855, गांधीनगर

14.	9/2005	श्री साहब खरवार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्वाचन विभाग, जयपुर	31.07.2041	एच-865, गांधीनगर
15.	10/2005	श्रीमती संतोष देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पुलिस दूर संचार निदेशालय, जयपुर	31.07.2026	एच-882, गांधीनगर
16.	12/2005	श्री बाबूलाल शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपर जिला सेशन न्यायालय क्रम-4 जयपुर नगर, जयपुर	30.11.2027	एच-885, गांधीनगर
17.	15/2005	श्री हिमापत अली खान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समाज कल्याण विभाग, जयपुर	30.06.2022	एच-888, गांधीनगर
18.	18/2005	श्रीमती मालती देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शिशु गृह समाज कल्याण विभाग गांधीनगर, जयपुर	31.03.2031	एच-512, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में)
19.	19/2005	श्री रामजीलाल शर्मा, सहायक कर्मचारी बंजड भूमि जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर	29.02.2028	एच-891, गांधीनगर
20.	20/2005	श्री कमालू राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला बाल विकास विभाग, जयपुर	31.03.2028	एच-894, गांधीनगर
21.	5/2013	श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर	31.5.2043	एच-899, गांधीनगर
22.	27/2013	श्री कैलाश चंद सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-4/1) विभाग शासन सचिवालय जयपुर	31.3.2052	एच-903, गांधीनगर
23.	35 A/2013	श्री विनय कुमार चौबे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वित्त कर विभाग शासन सचिवालय जयपुर	31.7.2042	एच-906, गांधीनगर
24.	51/2013	श्रीमती सोहनी देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (क-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर	31.5.2039	एच-911, गांधीनगर
25.	53/2013	श्रीमती फूलम देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय उपक्रम विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	30.11.2043	एच-913, गांधीनगर
26.	54/2013	श्री सन्नी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी प्रमुख शासन सचिव लघु उद्योग विभाग शासन सचिवालय जयपुर	31.3.2045	एच-914, गांधीनगर
27.	32/2014	श्री मनरूप चौधरी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, शासन सचिवालय राज. जयपुर	31.3.2041	6/5, गांधीनगर

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क़य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटनी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटनी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क़य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह.

(पी.डी. पारीक)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. अति. महानिदेशक, पुलिस राज0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. सचिव, निर्वाचन आयोग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, पुलिस दूर-संचार निदेशालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खंड प्रथम जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राज0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. पंजीयक, सहकारिता विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
11. निदेशक/अधीक्षक, समाज कल्याण विभाग/महिला बाल विकास विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. अधीक्षक, शिशु गृह समाज कल्याण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटनी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

13. अति.निदेशक, बंजड भूमि जल संग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
14. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
15. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
16. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिक, जयपुर शहर, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
17. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. निदेशक,सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
19. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
20. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
21. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
22. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
23. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत बितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
24. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
25. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
26. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
27. रक्षित पत्रावली।


 उप शासन सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	
2.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
3.	जन्म दिनांक	
4.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
5.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे है। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
6.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर